तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशि यल्स जज मु.नं. 112/2019 दुर्गादेवी बनाम मघदास आदि अन्तर्गत धारा 111,128 आरटीए	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/02/21	पत्रावली पेश हुई । अवलोकन किया गया । बहस सूनी गई । वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुवे निवेदन किया कि वादिया के खेत रोही जसवंतसर तहसील लूनकरनसर के वर्तमान खसरा नम्बर 140,157, 158 में खातेदारी भूमि स्थित हैं। वर्तमान पैमाईश नक्शा के अनुसार तहसीलदार लूनकरनसर में सीमाज्ञान के लिए आवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा सीमा ज्ञान को रोकने लिए तथा कब्जा में दखल कर अतिचार नीयत से कार्यवाही स्थगन हासिल कर लिया । पत्थरगढ़ी आवश्यक है ताकि तारबन्दी कर विवाद का निस्तारण हो सके । अन्यथा कास्त के समय मनमानी दखल सदैव बनी रहती हैं। न्यायालय हाज़ा के आदेश से सीमा ज्ञान दिनांक 11.06.2019 को मौका पर कराया जा चुका है जिस पर पत्थरगढी आवश्यक हैं। अप्रार्थी का खेत अलग तरमीमशुदा है अप्रार्थी की जोत खसरा नम्बर 139,156 में मौका पर पूरा कब्जा हैं। उसका प्रार्थियां से कोई सम्बन्ध नहीं हैं ना ही कोई कब्जा कभी रहा हैं। अप्रार्थी प्रभावशाली हाने के कारण कब्जाकाश्त में दखल कर परेशान करने पर आमादा हैं। अतः सीमाज्ञान के आधार पर तारबन्दी करना आवश्यक हैं। पैरोकार राज द्वारा नियमानुसार पत्थर गढ़ी पर सहमति प्रकट की गईं। हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। संलग्न सीमाज्ञान फर्द मौका प्रति अनुसार दिनांक 11.06.2019 को कार्यालय हाज़ा के आदेशानुसार पालना में पटवार हल्का द्वारा खसरा नम्बर 140,157,158 में पहुँचे तथा सीमाज्ञान कराया। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस का मनन कर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार(भू.अ.) लूनकरनसर, सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थीयां की खातेदारी भूमि मौजा रोही जसवन्तसर के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 140,157,158 के सींवजोड़ काश्तकार को सूचित कर सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी करावे । फैसले की प्रमाणित प्रति तहसीलदार (भू.अ.) लूनकरनसर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (भागीरथ शाख) उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 11:43:26 IST
Reason: SelfAttested